राज्यसभा के सभापति

प्रिलिम्स के लिये:

अनुच्छेद 89, उपराष्ट्रपति, उच्च सदन, राज्य सभा के उपसभापति, भारतीय संविधान।

मेन्स के लिये:

राज्यसभा के अध्यक्ष से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और शक्तियाँ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जगदीप धनखड़ को राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना गया।

राज्यसभा के सभापति

- **परिचय:**
  - उपराष्ट्रपति **राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।**
  - राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति **सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान का निर्विरोध संरक्षक होता है।**
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 64:** उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।
  - संविधान के **अनुच्छेद 89** में **सभापति (भारत के उप-राष्ट्रपति) और राज्यसभा के उपसभापति** का प्रावधान है।
- **शक्तियाँ और कार्य:**
  - राज्यसभा के सभापति को कोरम (गणपूर्ति) न होने की स्थिति में **सदन को स्थगित करने या उसकी बैठक स्थगित करने का अधिकार है।**
  - संविधान की 10वीं अनुसूची **सभापति** को दल-बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के **प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार देती है।**
  - सदन में **विशेषाधिकार हनन** का प्रश्न उठाने के लिये सभापति की सहमति आवश्यक है।
  - संसदीय समितियाँ, चाहे वह सभापति द्वारा गठित हों या सदन द्वारा, सभापति के निर्देशन में काम करती हैं।
  - वह सदस्यों को विभिन्न स्थायी समितियों और विभाग-संबंधित संसदीय समितियों में नामित करता है। वह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष हैं।
  - जहाँ तक सदन में या उससे संबंधित मामलों का संबंध है, **संविधान और नियमों की व्याख्या करना सभापति का कर्तव्य है** और कोई भी ऐसी व्याख्या पर सभापति के साथ शामिल नहीं हो सकता है।
- **सभापति को पद से हटाना:**
  - राज्यसभा के सभापति को पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए।
  - जब उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, वह सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता हालाँकि वह सदन में उपस्थित हो सकता है।

उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान:

- **उपराष्ट्रपति:**
  - उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वह पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है।
  - उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।
  - उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद (राज्यसभा) के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, साथ ही लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। इस प्रयोजन के लिये कम-से-कम 14 दिनों का नोटिस दिये जाने के बाद ही

इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
    - उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है।
- **योग्यता:**
    - भारत का नागरिक होना चाहिये।
    - 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिये।
    - राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिये।
    - केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिये।
- **निर्वाचक मंडल:**
    - भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
    - निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल हैं:
        - राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
        - राज्यसभा के मनोनीत सदस्य।
        - लोकसभा के निर्वाचित सदस्य।
- **चुनाव प्रक्रिया:**
    - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये चुनाव, निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।
    - राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।
        - चुनाव के लिये अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साठ दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी।
    - चूँकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिये प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा अर्थात् 1 (एक)।
    - चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के रूप में नियुक्त करता है।
        - तद्नुसार महासचिव, लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान **चुनाव के लिये निर्वाचन अधिकारी** के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
    - आयोग ने निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये संसद भवन (लोकसभा) में सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है।
    - राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव के लिये मतदान संसद भवन में होगा।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2013)

1. राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं
2. जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chairperson-of-rajya-sabha